08/10/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निरस्त किया जाता है। पत्रावली निर्णय होकर शामिल रिकॉर्ड किया जावे। [illegible]

आदेश खुला सुनाया गया।

Gcms 2024/160

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:04:58 IST
Reason: SelfAttested

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

## गुरदेव कौर आदि बनाम रज्जो आदि

किस्म मुकदमाः– 212 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रकरण संख्याः 67 सन् 2024

GCMS:- 2024/160

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 08.10.2024 | आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी न. 1 के नाम से वाके चक 6 एफ.डी. एम. ए की जमाबंदी संवंत 2074 ता 77 के खाता संख्या 28/40 के पत्थर नम्बर 102/352(20) के किला नम्बर 16/1, 16/2, 17 ता 19, 20/1, 22/4, 23/1, 24/1, 25/3, 25/4 = 1.854 हैक्टेयर कमाण्ड मय खाला भूमि व इसी चक 6 एफ.डी.एम. ए के खाता संख्या 29/27 के पत्थर नम्बर 101/352(21) के किला नम्बर 1 ता 20, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1 = 6.070 हैक्टेयर कमाण्ड में अप्रार्थी न. 1 के नाम 3641/6070 हिस्सा व अप्रार्थी न. 3/3 के नाम 243/1214 हिस्सा व अप्रार्थी न. 6/3 के नाम 1/5 हिस्सा भूमि व इसी चक 6 एफ.डी.एम.ए के खाता संख्या 62/28 के पत्थर नम्बर 102/352(20) के किला नम्बर 1/1, 2 ता 4, 5/1, 5/2, = 1.214 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी न. 4 के नाम व इसी चक 6 एफ.डी.एम. ए के खाता संख्या 64/28 के पत्थर नम्बर 102/352(20) के किला नम्बर 6/1, 6/2, 7 ता 9, 10/1 = 1.214 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी न. 5 के नाम व इसी चक 6 एफ.डी. एम. ए के खाता संख्या 63/28 के पत्थर नम्बर 102/352(20) के किला नम्बर 11/1, 12 ता 14, 15/1, 15/2 =1.214 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी न. 6/1/7 के नाम व इसी चक 6 एफ.डी.एम. ए के खाता संख्या 61/28 के पत्थर नम्बर 102/352(20) के किला नम्बर 21/1, 22/3 = 0. 320 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी न. 7 ता 10 प्रत्येक के 1/4, 1/4 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। उक्त जैरवाद रकबा अप्रार्थी न. 1 को उसके पति निहालसिंह पुत्र हरनामसिंह के नाम आवंटन हुआ था। उनकी मृत्यु उपरान्त परिवार की सम्पूर्ण आय से किश्ते जमा करवाकर उक्त रकब केवल मात्र अप्रार्थी न. 1 के नाम खातेदारी अधिकार प्राप्त किये थे। इसलिए सम्पूर्ण रकबा अप्रार्थी न. 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड हुआ था। निहालसिंह पुत्र हरनामसिंह की दो शादिया हुई थी। पहली पत्नी धन्नो के नुत्फे से तीन संतान अप्रार्थी न. 6/1 ता 6/3 पैदा हुई व धन्नो के फौत हो जाने के बाद दूसरी शादी अप्रार्थी न. 1 रज्जो से की, रज्जो के नुत्फे से छः सन्ताने प्रार्थीगण व अप्रार्थी न. 2 ता 4 पैदा हुई। इसलिए उक्त जैरवाद रकबा में पहली पत्नी धन्नो का 1/2 हिस्सा व दूसरी पत्नी का 1/2 हिस्सा कानूनी रूप से बनता था। रज्जो के हिस्से में से प्रार्थीगण का 3/7 हिस्सा कानूनी बनता है। परन्तु अप्रार्थी न. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से अप्रार्थी न. 1 ने अपने नाम की भूमि में से कुछ रकबा उपहार स्वरूप अपने पुत्रो व पौत्र व पड़पौत्र के नाम दर्ज करवा दी जबकि उक्त रकबा 1/2 हिस्सा में से प्रार्थीयान का भी 3/7 हिस्सा बनता हैं। जैरप्रकरण रकबा अप्रार्थी न. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण अप्रार्थी न. 1 दिगर तरीके से रकबा को आगे हस्तान्तरण करने | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

08.10.2024

पर उतारू हैं। अगर अप्रार्थी न. 1 अपने मकसद में कामयाब होकर उक्त रकबा को रहन, बैचान या हस्तान्तरण कर दिया तो प्रार्थीयान को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद पत्र के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जावे कि जैरप्रकरण रकबा को रहन, बैचान या हस्तान्तरण न करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 5, 6/1/7, 6/3, 3/1 से 3/4, 6/1/1 से 6/1/6, 6/2 जरिये अभिभाषक हाजिर आये तथा अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। शेष के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जैर प्रकरण भूमि वाके चक 6 एफ.डी.एम. ए का पत्थर नम्बर 102/352 मुरबा नम्बर 20 दिंनाक 22/2/1986 को आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त ई0गा0न0प्र0 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 का आवंटन की गई थी। आवंटन की सम्पूर्ण शर्तो को पूरा करने पर उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा दिंनाक 04/02/2016 को सनद संख्या 3574 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को उसके नाम से खातेदारी प्रदान की या जारी की गई। प्रार्थीगण का यह कहना गलत हैं कि उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को उसके पति निहालसिंह पुत्र हरनामसिंह की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त हुआ है। उक्त रकबा अप्रार्थी संख्या 1 को ही आवंटन हुआ था और खातेदारी भी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से जारी हुई थी। उक्त रकबा पैतृक रकबा ना होकर अप्रार्थी संख्या 1 का स्वयं अर्जित रकबा है। प्रत्येक खातेदार को अपने स्वयं अर्जित रकबे के सम्बन्ध मे सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वह रकबा चाहे तो विक्रय करे, हस्तान्तरण करे, रहन रखे या अन्य किसी तरह से अपने स्वयं अर्जित रकबे का हस्तान्तरण करे। प्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष समस्त तथ्यो को छिपाया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने स्वयं अर्जित रकबा वाके चक 6 एफ.डी. एम. ए का पत्थर नम्बर 102/352 मुरबा नम्बर 20 का अपने पूर्ण अधिकार के साथ अन्य अप्रार्थी के पक्ष मे दानपत्र किया है। जिसे करने का उन्हे पूरा पूरा अधिकार है। इस पत्थर की सम्पूर्ण भूमि को जरिये दान पत्र अप्रार्थी संख्या 1 ने अन्य अप्रार्थीगण के पक्ष भूमि का हस्तान्तरण कर दिया है। 3 बीघा भूमि को छोड कर सम्पूर्ण भूमि का इन्तकाल अप्रार्थीगण के पक्ष मे दर्ज हो गया है। जो 3 बीघा भूमि का इन्तकाल अप्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वह 3 बीघा भूमि अप्रार्थी ने अपने पौते गुरदेव व प्रेम के नाम से दान पत्र कर रखी है। दानपत्र के आधार पर इन्तकाल दर्ज हो तो उस से पहले ही प्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष झुठे तथ्य पेश कर एक तरफा स्थगन प्राप्त [illegible] है। इसी प्रकार जैर प्रकरण भूमि वाके [illegible] पत्थर नम्बर 101/352 भी दिंनाक 17/7/84 [illegible] सहायक उपनिवेशन एवं सहायक कलेक्टर रा0न0पी0 सूरतगढ द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 रज्जो पत्नी निहाल[illegible] बलवन्त, कर्मसिंह, रामचन्द्र, जीवनराम पुत्रगण निहालसिंह को आवंटन हुई थी। अपने नाम की 5 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने पौते गुरूचरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:04:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्या: 67 सन् 2024)

08.10.2024

पुत्र बलवन्तराम को दानपत्र करवा दी। जिसका इन्तकाल अभी दानग्रहिता के नाम से दर्ज नही हो पाया है। क्योंकि प्रार्थीगण ने गैरकानूनी रूपे से एकतरफा स्थगन जारी करवा लिया था। इसी पत्थर नम्बर 101/352 की 1.214 है0 भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये जरिये दस्तबरदारी दिंनाक 06.08.2020 को अपने पुत्र कर्मसिंह से प्राप्त की है। इसी अनुसार इसी पत्थर नम्बर 101/352 की 1.04057 है0 भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ने रामचन्द्र पुत्र निहालसिंह के वारिसो से जरिये दस्तबरदारी दिंनाक 06.08.2020 को प्राप्त की है। इसी क्रम मे इसी पत्थर नम्बर 101/352 की 0.1734 है0 भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ने श्रीमति मुख्तयारकौर पत्नी रामचन्द्र से जरिये बैयनामा दिंनाक 06.08.2020 को प्राप्त की है। इस प्रकार इस पत्थर मे अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से 14.8 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। जो अप्रार्थी संख्या 1 की स्वयं अर्जित भूमि है। स्वयं अर्जित भूमि को प्रार्थीगण पैतृक भूमि की श्रेणी मे गणना नही कर सकते और ना ही अपना कोई हिस्सा मांग सकते है। निहालसिंह की दो शादिया होना स्वीकार्य है। प्रार्थीगण जिस भूमि को निहालसिंह की होना बता रही है। वह भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई करने का निवेदन किया तथा अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यो को अवलोकन किया गया। जमाबंदी अनुसार जैरप्रकरण भूमि अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज हैं। प्रार्थीगण का कहना हैं कि जैरप्रकरण रकबा पैतृक हैं परन्तु पैतृक भूमि होने बाबत को साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किये हैं। अप्रार्थी न. 1 ने अपना रकबा स्वअर्जित बताया हैं जो उसके द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश व खातेदारी सनद् से साबित है। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण का साबित नहीं हो रहा हैं। अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार हैं जिन्हे बिना किसी उचित आधार के पाबन्द नहीं किया जा सकता हैं। हको की घोषणा वाद पत्र में की जानी हैं परन्तु प्रथम दृष्टया रकबा पैतृक साबित नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता हैं। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का निरस्त किया जाता हैं तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दि. [illegible] 2024 निरस्त की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:04:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)